

20/12  
Report to ...

16/05/24 पत्रावली पेमा हुई। घाटी वडील उपर प्रतिवादीगण के सम्मन Registered delivery Report से प्राप्त हुए जिले शामिल पत्रावली गिया जाता है प्रतिवादीगण के सम्मन टामिल मुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोर्टे उपर नहीं हुआ। अतः इनके विरुद्ध एकराजा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वडील पार्टी की बहल सुनी गई, बहल पर, मनन गिया पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है की वादी का पार्सना-पत्र स्वीकार करने योग्य है। अतः संबंधी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली गिया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर टामिल बफतर हो संख्या से कम हो।

...  
...  
...

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थी</p> <p>1. भेरा पुत्र पैलाद जाति जाट, निवासी मानपुरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</p>	<p>विप्रार्थीगण</p> <p>1. गोकलाराम पुत्र वींजाराम 2. रामाराम पुत्र वींजाराम  3. गोकलाराम पुत्र मासीगाराम 4. पुनमाराम पुत्र भीमाराम  5. माधाराम पुत्र भीमाराम 6. नवला पुत्र पदमा  7. ईसरा पुत्र वगता 8. करनाराम पुत्र इशाराराम  9. बाबुराम पुत्र इशाराराम 10. खेता पुत्र मेहा  11. शिवा पुत्र मेहा 12. डूंगराराम पुत्र भेराराम  13. पुनमाराम पुत्र भेराराम 14. हरिराम पुत्र भेराराम  15. गेनाराम पुत्र खेताराम 16. सोनीदेवी पत्नि गेनाराम  17. गोर्धन पुत्र शिवदान 18. देवा पुत्र शिवदान  19. पुरखा पुत्र शिवदान 20. गुमनी पत्नि मेहा  21. हरलाल पुत्र शिवदान जाति जाट, निवासी मानपुरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।  22. तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।</p>
--	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।  
राजस्व आवेदन संख्या 73/2024

दिनांक : 16/05/2024

### आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भूअ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा मानपुरा के खेत खसरा संख्या 745/677 रकबा 5.5199 हैक्टर, खसरा संख्या 747/677 रकबा 5.3907 हैक्टर एवं खसरा संख्या 583 रकबा 0.1214 हैक्टर कुल रकबा 11.0317 हैक्टर किस्म बाराणी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

0/ (विरेन्द्रसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा

दिनांक 27/05/2024

क्रमांक/भूअ./2024/ 2198-11

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी भेरा पुत्र पैलाद।
3. विप्रार्थीगण गोकलाराम पुत्र वींजाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

0/ (विरेन्द्रसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 73/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एत.आर.एक्ट

भेरा बनाम गोकलाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस  
प्रार्थी वकील - श्री श्रीराम विश्नोई

**निर्णय**

दिनांक - 16/05/2024


प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा मानपुरा के खेत खसरा संख्या 745/677 रकबा 5.5199 हैक्टर, खसरा संख्या 747/677 रकबा 5.3907 हैक्टर एवं खसरा संख्या 583 रकबा 0.1214 हैक्टर कुल रकबा 11.0317 हैक्टर किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा मानपुरा के खेत खसरा संख्या 745/677 रकबा 5.5199 हैक्टर, खसरा संख्या 747/677 रकबा 5.3907 हैक्टर एवं खसरा संख्या 583 रकबा 0.1214 हैक्टर कुल रकबा 11.0317 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 16/05/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



  
(विरेन्द्रसिंह भाटी) अधिकारी  
उपखण्ड, अधिकारी सेड़वा  
सेड़वा